

विषय :

याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० 20170 / 2015 सेवा शिक्षण पुनर्वास एवं अनुसंधान समिति सागर विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य।

--00--

मानः मेत्रीणी का विभाग स्मान्नाम वि

P-1-38/C

पंजी कमांक 272/2016/26-1 दिनांक 26/02/2016

--00--

डिप्टी रजिस्द्वार मा० उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त

पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ डिप्टी रजिस्द्वार मा० उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू०पी० 20170/2015 सेवा शिक्षण पुनर्वास एवं अनुसंधान समिति सागर विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में प्रकरण विभाग में प्राप्त हुआ है।

3/ अतः उक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश का प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु नस्ती संचालक, सामाजिक न्याय एवं

निशक्तजन कृल्याण को अंकित करना चाहेगें।

अनुभाग अधिकारी

3022

30 40

27.2.16

B 271U66

B0 12/16

JOHN)

of Stall

29/2/16

छब्बीस-२ सच्विालय

विषय :

याचिका क्रमांक डब्ल्यू०पी० 20170 / 2015 सेवा शिक्षण पुनर्वास एवं अनुसंधान समिति सागर विरुद्ध म०प्र0 शासन एवं अन्य।

---00---

पूर्व पृष्ठ से:-विषयांकित प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा संस्था की शिकायत के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में डब्ल्यू. पी. क0 20170 / 2015 याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी क0 1 पर यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली, प्रतिवादी क0 2 पर सचिव, म0प्र0 शासन सामाजिक न्याय संचालनालय भोपाल,1250 तुलसी नगर भोपाल प्रतिवादी क0. 3 पर उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सागर संभाग, प्रतिवादी क0 4 पर आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, भोपाल एवं प्रतिवादी क 5 पर कलेक्टर, सागर को प्रतिवादी बनाया गया है।

चुँकि प्रकरण सागर संभाग से संबंधित है, ऐसी स्थिति में शासन पक्ष समर्थन हेतु संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सागर संभाग को प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

अतः अनुरोध है कि संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सागर संभाग को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर आदेश जारी करने का कष्ट करें।

ATABES D. 1-47271 -1/2016/8 Paries 3.3.16

140 14.3 DS/SJ/2015

WII) KJ

413716

283-84/2016/dy . auffact.

शाकेमुभो-369-उनिशाकेमुभी-22-9-15-5,00,000.

का विभन्न

विषय : का विभाग छब्बीस-२ सचिवालय

http://172.16.180.43/cishcbom/Demo/menu.php

前 272 201618 46

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PI

Process Id: 11907/2016

WP/20170/2015

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, **High Court of Judicature** at Jabalpur

FOR ADM Fixed for 02-03-2016 WP-DA-17 Respondent No. 2

To,

1411/6
1411/6
inent
The 90-2 22-16 Secretary Social Justice And Empowerment And Department Of Disabilility Affairs The State Of Madhya Pradesh,

Tulsi Nagar, Bhopal,

District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 23-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto)
No. WP/ 20170/ 2015

Sir/Madam.

I am directed to inform you that one Seva Shikshan Prikshishan Punarwas Avam Anushandhan Samiti has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/20170/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 02-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) **Encl: Copy of Petition**

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय //आदेश//

भोपाल, दिनांक 5 03 16

क्रिकं /एफ- 8 / 12 /2016/26-1. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का
अधिनयम संख्या द्रतांक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जारालपुर में ताटार याचिका।
ए. ० २०१७८ / १८ में ता द्रिक्ति प्रमान पुनर्काम एक अनुद्रत्वान द्रामित विरुद्ध
मप्रशासन में स्युक्ति रीचालक, सामितक न्याय, स्वागर स्थापत
को प्रकरण में मध्यप्रदेश राज्य के लिए उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में
आधिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने और
उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता

है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति क तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी शिंत जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा -

- (1) !अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और उक्त कांडका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर गैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरि त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिववता/शासकीय अभिभाषक को सह!यता पहुँचाने की संगावना है, रिगोर्ट तैयार व रेगा, यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उना विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जावंगी।
- समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- वाद पत्र याचिक। में उटाचे गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अति!क्त जानकारी देते हुए जिनमें कि शासकीय

K- 349

अभिभ:षक	की	सहायता	पहुँचने	की	संभावना	है,	एक	रिपोर्ट	तैयार
व रेगा।									

- अ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पक करगा
- शासकीय अधिगक्ता की सहायता रो लिखित कथन/उत्तर तेपार करवाएगा।
- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज / पत्र भेजेगा:-क--वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट ख-प्रस्तावित लिख्खित कथन का एक प्रारूप

ग--जन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइलें करना प्रस्तावित है और जिनदी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

घ-मामले में िशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज/पत्रों की प्रतियाँ इसमें बाद की जुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।

- मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मानले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अदगत रखना।
- जब भी कोई आदेश /निर्णय विशिष्ठतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवन्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने हो हिए इस विभाग को भेजेगा।



यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रभाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं

जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय दों। पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार साँपने के पश्त्रात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी शिधकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावे।

प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हरसंभव राहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकृटित / हुपी न रह जावे।

प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभिभावक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चय होता है परिणामं की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति आभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट

त्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभिनाषक मुकर्रर है तो इस बात के के साथ भेजी जाए। लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रत्रम में कार्यवाही की गई है। अंतएवं वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जय विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश ुला

> (ववीता निस्ति अवर तचिव T. प्र शासन,सामाजिक न्याय एवं ि:शवतजन कल्याण दिभाग

(12)

(13)

(14)